न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43/2018 (उदयपुर आर्डर)

रो ानलाल पुत्र स्वर्गीय श्री सीताराम मेघवाल, निवासी राजपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मांगी बाई पुत्री स्वर्गीय वरदा जी पत्नी बगदीराम जी मेघवाल, निवासी राजपुरा, हाल निवासी कानोड, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. चेतन पुत्र स्वर्गीय श्री कजोडीमल मेघवाल, निवासी राजपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. संजय पुत्र स्वर्गीय श्री कजोडीमल मेघवाल, निवासी राजपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. मुस्मात श्रीमती प्रेमी पत्नी स्वर्गीय श्री कजोडीमल मेघवाल, निवासी राजपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती दरिया पत्नी भंवरलाल जी मेघवाल, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कमली पत्नी मोहनलाल जी मेघवाल, निवासी महूडा, तहसील बड़ी सादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0
05.09.2018 प्रकरण संख्या 7/2018

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री अमरसिंह सिसोदिया अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री आ ीश मारू अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 से 6
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं.7

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 23–11–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा में परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 751, 755 भाा.नं. 754 किता 2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कजोड़ीमल पिता चुना 1/3, मु.रूपा ना.बा.ब.वि. सीताराम पिता वरदा 1/3 मेघवाल सा.देह अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 752 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कजोड़ीमल पिता चुना मेघवाल सा.देह अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 749/1, 749/2, 750 किता 3 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कजोड़ीमल पिता चुना 1/3, मु.रूपा ना.बा.ब.वि. सीताराम पिता वरदा 1/3 मेघवाल सा.देह अंकित है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूश भग्गा जी के तीन पुत्र चुना, रूपा, वरदा हुए। चुना का पुत्र कजोड़ीमल हुआ जिसके वारिस विपक्षी संख्या 2 से 6 हैं। रूपा लाऔद फोत हुआ एवं वरदा का पुत्र सीताराम एवं पुत्री प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 हुई। वरदा की पत्नी हुडी की मृत्यु हो चुकी है तथा सीताराम का वारिस विपक्षी संख्या 1 है। इस प्रकार कुलिया आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित जायदाद होने से प्रार्थीया का भी हिस्सा है, किन्तु वरदा की विरासत की कार्यवाही में सीताराम ने मिली भगत कर प्रार्थीया एवं उसकी मां हुड़ी का नाम अंकित नहीं करवाया एवं सीताराम अकेले का नाम अंकित करवा दिया, जो प्रार्थीया के हक अधिकारों के मुकाबले भून्य है। इसी प्रकार रूपा के फोत होने पर सीताराम ने पुनः प्रार्थीया मांगीबाई एवं उसकी मां हुड़ी व चुना के हक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की नियत से मिली भगत कर रूपा की विरासत से रोशनलाल मु. रूपा ना.बा.ब.वि. सीताराम अंकित करवा दिया, जबकि रूपा ने कभी भी रोशनलाल को गोद नहीं लिया। इसके बाद चुना के फोत होने पर विवादित आराजियात चुना के बजाय कजोडीमल के नाम अंकित हुई एवं कजोडीमल व सीताराम ने आपस में मिली भगत कर परिशिष्ट ''ख'' की कुलिया आराजियात का बिकाव दर्शाते हुए राजस्व अभिलेखों में अकेले कजोड़ी के नाम अंकित करवा दी। प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करती है, जिससे उसे रोका जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested

आव यक है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीया के हिस्से व कब्जे का त की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, जबरन बेदखल नहीं करें एवं किसी प्रकार का हस्तान्तरण व अंतरित नहीं करे तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं वि ोश कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की राहत पाने की अधिकारिणी नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 2 से 6 द्वारा भी खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीया क्लीन हैण्ड से नहीं आयी है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 05—09—2018 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22—11—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से वकील श्री आ ीश मारू उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसका 50 प्रति ात भारीर जल चुका है, जिसका इलाज चल रहा है इसलिए वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायाल[illegible]पा की लाऔलाद फोत होना मानने

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested

में भूल की है, क्योंकि साक्ष्यों से अपीलान्ट रूपा के गोद जाना साबित है। इसलिए रूपा के हिस्से में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भी भूल की है कि मात्र एक संतान को गोद नहीं दिया जा सकता, जबकि कानूनन एक संतान को भी गोद दिया जा सकता है। विवादित आराजियात पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट की बहस से सहमति जताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार विपक्षीगण अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6 विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार हैं ऐसी स्थिति में जब तक अन्यथा कब्जा साबित न हो जाये, कब्जा रेकार्डेड खातेदार का ही होने की अवधारणा ली जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निशेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृश्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया तथा रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा जारी कर दी है, जो प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–09–2018 अपास्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested